Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

भजन सिंह पुत्र श्री झण्डा सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 3 एसआरडब्ल्यू हाल आबाद ग्राम मंगाला तहसील व जिला सिरसा
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ आदि
किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.– 101/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.09.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट एवं अपीलांट श्री भजन सिंह पुत्र श्री झण्डा सिंह उपस्थित आये। रेस्पोडेंट संख्या 2 श्री गुरमेल सिंह पुत्र भागसिंह उपस्थित आये। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा जवाब अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपने नाम की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 3 जीडीएम के खाता संख्या 42/37 के पत्थर नं. 40/49 (71) के किला नं. 16 ता 20 कुल 1.265 है0 अ.क. भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 21.02.2021 को बैचान कर कब्जा खरीददार को सौंप दिया था परन्तु अदालत मातहत ने उक्त बैयनामा को नजरअंदाज करते हुए उत्तरवादी संख्या 2 के नाम चक 3 जीडीएम के खाता संख्या 42/37 के पत्थर नं. 40/49 (71) के किला नं. 1 ता 20 कुल 5.060 है0 अ.क. भूमि का इन्तकाल सं. 238 स्वीकृत कर दिया गया जो काबिल निरस्ती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चक 3 जीडीएम के खाता संख्या 42/37 के पत्थर नं. 40/49 (71) के किला नं. 1 ता 20 कुल 5.060 है0 अ.क. भूमि का इन्तकाल सं. 238 जो तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 27.01.2014 को स्वीकृत किया है को निरस्त किया जाकर उत्तरवादी सं. 2 के पक्ष में बैयनामा दिनांक 21.02.2012 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिया जावे। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील व शपथ पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया चक 3 जीडीएम के खाता संख्या 42/37 के पत्थर नं. 40/49 (71) के किला नं. 16 ता 20 कुल 1.265 है0 अ.क. भूमि मुझ अप्रार्थी द्वारा जरिये बैयनामा अपीलांट से खरीद की गई थी, इसके अलावा भजन सिंह के नाम की भूमि चक 3 जीडीएम के प.नं. 40/49 (71) के किला नं. 1 ता 15 कुल 3.795 है0 अ.क. भूमि कभी भी खरीद नहीं की गई है। पटवारी हल्का द्वारा बैयनामा में दर्ज रकबा 1.265 है0 भूमि का इंतकाल दर्ज करना था जिसकी अनदेखी कर अपीलांट के तमाम रकबा का इन्तकाल मुझ प्रार्थी के नाम स्वीकृत किया गया है। मुझ प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा भूमि 1.265 है0 अ.क. रकबा का मुताबिक बैयनामा इंतकाल स्वीकृत किया जाकर अन्य इंतकाल निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी। अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हमने उभय पक्ष के कथनों का मनन किया व पत्रावली व रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील व शपथ पत्र का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जिसके आलोक में जवाब अपील संतोषजनक पाया गया। अतः रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील व उसके पक्ष में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा चक 3 जीडीएम के खाता संख्या 42/37 के पत्थर नं. 40/49 (71) के किला नं. 1 ता 20 कुल 5.060 है0 अ.क. भूमि का इंतकाल नं. 238 निरस्त किया जाकर उत्तरवादी नं. 2 के पक्ष में बैयनामा दिनांक 21.02.2012 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अर्पिता सोनी) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:13:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner